



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-02.02.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अभियुक्त को 03 माह कारावास व 5000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-283/2011 धारा 8/22 NDPS Act से सम्बन्धित अभियुक्त बच्चा जायसवाल पुत्र कन्हैया जायसवाल निवासी- फुलवरिया, थाना-कैंट, जनपद-वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-1 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 8/22 NDPS Act में 03 माह कारावास व 5000/- रू0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी